



## JALAUN POLICE

**दिनांक – 21.12.2025**

श्रीमान् जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत अभ्यस्त अपराधी, जिनके विरुद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी, लूट, बलवा गुंडा अधिनियम आदि में अभियोग पंजीकृत हैं। ऐसे 02 अभियुक्तगण को 06 माह की अवधि के लिए जिलाबदर कराया गया है।

जिलाबदर अभियुक्तगण निष्कासन की अवधि में लिखित रूप से अवगत करायेगें कि वह किस राज्य/जनपद/थाना/शहर/मुहल्ला/गाँव में निवास करेंगे एवं निष्कासन अवधि में अपने साथ अस्त्र/शस्त्र व आग्नेयशस्त्र धारण नहीं करेंगे। यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे।

### **विवरण जिलाबदर अभियुक्तगण – दिनांक 12.12.2025 से 06 माह तक**

1. ज्ञान सिंह राजपूत पुत्र स्व० गोपी उर्फ गोपी राजपूत नि० इन्द्रानगर उरई कोत० उरई जनपद जालौन
2. संजय मिश्रा पुत्र रामसनेही मिश्रा निवासी ग्राम उकासा थाना आटा जनपद जालौन।